उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या–290 / XXVII(2) / 2010 / स्टाम्प–01 / 2005
देहरादूनः दिनांक 24 दिसम्बर, 2010

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है।

अतएव, अब, राज्यपाल अधिसूचना संख्या–210 / वि0अनु0–5 / स्टाम्प / (01 / स्टाम्प / 04) / 2004 दिनांक 19 जुलाई, 2004 (यथासंशोधित 22 जनवरी, 2005) को अधिक्रमित करते हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–02 वर्श 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड, अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके यह निदेश देते है कि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) उत्तराखण्ड द्वारा राज्य के अन्तर्गत स्वयं अथवा संयुक्त क्षेत्र में उद्यमियों को उपलब्ध करायी जाने वाली विकसित भूमि पर स्टाम्प भुल्क की प्रभार्यता औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सिडकुल) उत्तराखण्ड द्वारा निर्धारित वास्तविक विक्रय मूल्य के आधार पर स्टाम्प भुल्क लिये जाने के सहर्श स्वीकृति प्रदान करते है।

2– राज्यपाल, यह भी निर्देश देते हैं कि यह आदेश दिनांक 19 जुलाई, 2004 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।

पत्रांक : 290(1) / XXVII(9) / 2010 / स्टाम्प–01 / 2005 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिरीक्षक निबन्धन उत्तराखण्ड देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊॅ एवं गढ़वांल
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. न्याय / विधायी विभाग।
5. प्रतिलिपि उप–निदे ाक लिथो प्रेस रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे आगामी गजट में प्रकाशित कराते हुये इसकी 200 प्रतियां वित्त अनुभाग–9 उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध करा दें
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त।